(20)

संख्या : /IV(1)/2011–402(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

निधि मणि त्रिपाठी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक :29 मार्च,2011

विषयः कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, रूड़की के 04 कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या –173/IV(1)/2010–402(कुम्भ)/2009 दिनांक 03.02.2011 एवं पत्र संख्या–368/IV(1)/2010–402(कुम्भ)/2009 दिनांक 11.3.2010 द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 291.19लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 289.56लाख (₹ दो करोड़ नवासी लाख छप्पन हजार) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 101.56लाख (रू. एक करोड एक लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या–8946/कु0मे0/2010/लेखा/उ0प्र0प0 दिनांक 07.01.2011 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त कार्य हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष एल–1 आधार पर समस्त अवशेष धनराशि **₹ 1,85,28,000/–(₹ एक करोड पिचासी लाख अठाईस हजार मात्र)** को ह0वि0प्रा0 के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा। यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर ब्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित ब्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा करके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध करवाने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।
2. चूँकि निविदा में प्राप्त एल–1 निविदा (न्यनतम निविदा) आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना संभावित है, अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही धनराशि आहरण की जाएगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा।
3. अन्तिम किश्त का न्यूनतम निविदा (एल–1) का विवरण देकर उसी के अनुसार ही स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
4. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा और आगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।
5. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2011 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

8. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
9. कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूडकी एवं मेलाधिकारी, हरिद्वार पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 436/IV(1)/2010–39(साम0)/2006–टी0सी0 दिनांक 25.3.2010 के द्वारा मेलाधिकारी, हरिद्वार के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 108.5590करोड के सापेक्ष किया जायेगा एवं पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं.–846/XXVII(2)/2011 दिनांक 28 ,मार्च,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

संख्या :– 36 /(1)/IV(1)/2011 तद्‌दिनांक।29/3/11

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूडकी।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या :–36/IV(1)/2011–402(कुम्भ)/2009
दिनांक29 मार्च, 2011 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रम सं0	मद का नाम	स्वीकृत लागत	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि।	द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि।
01	रूड़की में हरिद्वार रोड, प्रेम मंदिर चौराहे से त्यागी डेरी से होते हुए आई0 आई0टी0 गेट तक सड़क का चौड़ीकरण का कार्य।	46.01 (एल–1 के आधार पर 0.40)	16.01	29.60
02	रूड़की में हरिद्वार रोड पर डमडम मोटर से ग्राम खंजरपुर व आई0टी0आई0 को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण एवं विधुतीकरण का कार्य।	116.76 (एल–1 के आधार पर 1.30 लाख एवं अन्य व्ययों के आधार पर ₹ 19,000/ की कमि)	38.76	76.51
03	रूड़की में गोशाला तिराहे से चन्द्रपुरी रिक्शा स्टेण्ड तक सड़क का बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढीकरण एवं चौडीकरण का कार्य।	48.05 (एल–1 के आधार पर 0.42)	18.05	29.58
04	रूड़की में देहरादून रोड़ पर बी0एम0एस0 कालेज तिराहे से के0 एल0डी0वी0 इण्टर कालेज चौराहे तक सड़क का चौडीकरण एवं डिवाइडर व विधुतीकरण व स्ट्रीट लाईट का कार्य।	78.74 (एल–1 के आधार पर बचत 0.41 लाख)	28.74	49.59
	योग	289.56 (एल–1 एवं अन्य के आधार पर कुल ₹ 286.84 लाख)	101.56	185.28

(₹ एक करोड़ पिचासी लाख अठाईस हजार मात्र)

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।